



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 07/1943 दिनांक:-15.03.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-85/2018

विषय:-Revision of the rates of Night Duty Allowance (NDA)-recommendations of 7th Central Pay Commission.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)II-2017/HW-1 दिनांक 08.03.2018, RBE No. 36/2018, S. No. PC-VII/95 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	RBE No. 199/2008	235/2008

उपरोक्त नियम दफ्तर की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 प्रूफ)

(हफिज़ मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मुख्या.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

E/R No. - 85/2018
P/1

S.No. PC-VII/95

RBE No. 36/2018

No.E(P&A)II-2017/HW-1

New Delhi, dated 08.03.2018

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.

**Sub:-Revision of the rates of Night Duty Allowance (NDA)-
recommendations of 7th Central Pay Commission.**

+++++

235/08

Please refer to Board's letter No. E(P&A)II-2008/HW-2, dt. 16.12.2008 (RBE NO.199/2008) as amended from time to time regarding revision of rates of Night Duty Allowance (NDA) during 6th CPC period.

2. Consequent upon the decision taken by the Government of India on the recommendations of the 7th CPC, the President is pleased to decide that the hourly rate of NDA shall be equal to $\{(Basic\ Pay + Dearness\ Allowance) / 200\}$ which would be admissible to eligible categories of non-gazetted Railway Servants classified under chapter XIV of the Railway Act, 1989 read with the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 for work put in during the period from 2200 hrs to 0600 hrs. The rate should be worked out separately for each employee. The present formulation of weightage of 10 minutes for every hour of duty performed between the hours of 22:00 and 06:00 would continue.
3. The grant of NDA shall be subject to furnishing of a certificate by the supervisor concerned that Night Duty is essential.
4. The revised rates of NDA shall be admissible with effect from the 1st of July, 2017.
5. These orders would be subject to modification, if any, after the issue of instructions by the Nodal Ministry i.e. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training).
6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
7. Hindi version is enclosed.



(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director, E(P&A)II
Railway Board

85/18
P/2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

क्रम सं. पीसी-VII/95
सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचडब्ल्यू-1

आरबीई नं. 36/2018
नई दिल्ली, दिनांक 08.03.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) की दरों में संशोधन करना।

++++++

कृपया बोर्ड के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 16.12.2008 (आरबीई सं. 199/2008) के पत्र सं. ई(पीएंडए)II-2008/एचडब्ल्यू-2 का अवलोकन करें, जो 6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि के दौरान रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) की दरों में संशोधन करने के बारे में है।

2. भारत सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि 2200 बजे से 0600 बजे तक की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) की प्रतिघंटा दर $\{(मूल वेतन+महंगाई भत्ता)/200\}$ के समान होगी, जो रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV के अंतर्गत वर्गीकृत अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की पात्र कोटियों के लिए अनुमेय है। यह दर प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी। 22.00 बजे से 06.00 बजे के बीच निष्पादित इयूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज का मौजूदा फार्मूला जारी रहेगा।

3. रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) इसके अध्यक्षीन प्रदान किया जाएगा कि संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि रात्रि इयूटी अनिवार्य है।

4. रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी।

5. ये आदेश नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अनुदेशों के जारी किए जाने के पश्चात्, आशोधन, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक, ई(पीएंडए)II,
रेलवे बोर्ड